

नियोजन इकाई का नाम-प्रखण्ड नियोजन इकाई सदर, छपरा

कार्यालय आदेश

बिहार पंचायत प्रारम्भिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली-2012 (गण्य संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारम्भिक शिक्षा (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली-2012 (गण्य संशोधित) के तहत विभागीय अधिसूचना सं०-1378 दिनांक-17.12.2021 एवं विभागीय पत्रांक-33 दिनांक-18.01.2022 के द्वारा राज्य के मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु विद्यमान पदों के विरुद्ध मध्य विद्यालय 30 म० कि० महाराजगंज में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। यह नियुक्ति पूर्णतः औपबन्धिक होगी।

अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी, यदि शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर नियुक्त होना चाहते हों, तो 30 दिनों के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची :-

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	मेधा सूची क्रमांक	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	संतोष सिंह यादव	श्री नोरख सिंह यादव	ग्राम मतिवा, पो०+धाना-मुहम्मदाबाद, जिला-गालीपूर	64	UR	10.07.1992	30 म० कि० महाराजगंज

- संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/ प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
- योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- प्रमाण-पत्र जाली/अन्तर्लेपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियोजन रद्द कर दिया जायेगा और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे।

Amudh Kumar
प्रखण्ड नियोजन इकाई सदर, छपरा

प्रखण्ड नियोजन इकाई सदर, छपरा।
कार्यपालक पदाधिकारी

क्रमांक 139 दिनांक 28.05.2022

प्रतिलिपि :- 1. संबंधित नवनियुक्त शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पदस्थापन के विद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

2. विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के योगदान की सूचना अक्षोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अवृक रूप से देना सुनिश्चित करें।

3. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के NIC के Website पर Upload करना चाहेंगे।

Amudh Kumar
सचिव

प्रखण्ड नियोजन इकाई सदर, छपरा।
प्रखण्ड नियोजन इकाई सदर, छपरा।



realme

Shot on realme 7

2023-02/03/08:06

-सह-

कार्यपालक पदाधिकारी
पंचायत समिति, सदर, छपरा